संख्या– 1296/एक–10–2021–33(221)/2011 टीसी–2

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं0–303/1–11–2016–4(जी)/2016, दिनांकः 27.06.2016 एंव अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरने से होने वाली दुर्घटना अधिसूचना सं0–393/1–11–2018–4(जी)/ 2016, दिनांकः 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य–जीव द्वन्द्ध तथा अधिसूचना दि0: 09 जून 2021 द्वारा कुंआ, नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रताप में डूबकर होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली, सर्पदंश आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन कालम–4 के अनुसार रू0 **98,17,00,000 (रूपये अट्ठान्नबे करोड़ सत्तरह लाख)** मात्र की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख रू0 में)

कमांक	जनपद	वित्तीय वर्ष 2021–22 में अब तक आवंटित धनराशि	आवंटित की जा रही धनराशि
1	2	3	4
1	AGRA	20.00	139.00
2	ALIGARH	10.00	120.00
3	AMBEDKARNAGAR	60.00	195.00
4	AMETHI	15.00	355.00
5	AMROHA	10.00	190.00
6	AURAIYA	10.00	80.00
7	AYODHYA	50.00	40.00
8	AZAMGARH	70.00	170.00
9	BADAUN	50.00	120.00
10	BAGHPAT	10.00	80.00
11	BAHRAICH	50.00	160.00
12	BALLIA	15.00	205.00
13	BALRAMPUR	10.00	80.00
14	BANDA	70.00	200.00
15	BARABANKI	20.00	190.00
16	BAREILLY	15.00	105.00
17	BASTI	10.00	130.00
18	BHADOHI	20.00	100.00
19	BIJNOR	10.00	100.00
20	BULANDSHAHR	15.00	105.00

21	CHANDAULI	10.00	105.00
22	CHITRAKOOT	20.00	100.00
23	DEORIA	20.00	180.00
24	ETAH	10.00	100.00
25	ETAWAH	10.00	105.00
26	FARRUKHABAD	50.00	125.00
27	FATEHPUR	70.00	70.00
28	FIROZABAD	10.00	280.00
29	G.B.NAGAR	30.00	75.00
30	GHAZIABAD	10.00	80.00
31	GHAZIPUR	10.00	80.00
32	GONDA	10.00	172.00
33	GORAKHPUR	20.00	160.00
34	HAMIRPUR	10.00	235.90
35	HAPUR	10.00	80.00
36	HARDOI	70.00	70.00
37	HATHRAS	10.00	115.00
38	JALUN	15.00	115.00
39	JAUNPUR	65.00	75.00
40	JHANSI	20.00	150.00
41	KANNAUJ	47.00	153.00
42	KANPUR DEHAT	10.00	200.00
43	KANPUR NAGAR	10.00	130.00
44	KANSGANJ	10.00	140.00
45	KAUSHAMBI	10.00	95.00
46	KUSHI NAGAR	10.00	100.00
47	LAKHIMPUR KHIRI	20.00	120.00
48	LALITPUR	10.00	300.00
49	LUCKNOW	20.00	130.00
50	MAHARAJGANJ	10.00	150.00
51	MAHOBA	10.00	80.00
52	MAINPURI	10.00	80.00
53	MATHURA	15.00	110.00
54	MAU	10.00	110.00
55	MEERUT	15.00	115.00
56	MIRZAPUR	30.00	80.00
57	MORADABAD	10.00	257.00
58	MUZAFFARNAGAR	10.00	100.00
59	PILIBHIT	10.00	80.00
60	PRATAPGARH	15.00	100.00
61	PRAYAGRAJ	20.00	100.00
62	RAEBARELI	15.00	201.00
63	RAMPUR	10.00	80.00
64	SAHARANPUR	10.00	130.00
65	SAMBHAL	60.00	30.00
66	SANT KABIR NAGR	10.00	80.00
67	SHAHJAHANPUR	15.00	105.00
68	SHAMLI	36.00	54.00
69	SIDDHARTH NAGAR	10.00	80.00
70	SITAPUR	120.00	125.00
71	SONBHADRA	120.00	275.00
72	SRAWASTI	10.00	80.00
73	SULTANPUR	60.00	135.00
74	UNNAO	10.00	240.00
75	VARANASI	15.00	135.00
	Total	**1833.00**	**9817.00**

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदा किः जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत

स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0–ए–1–803/दस–2013–10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर–27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0–32–7/2014–एनडीएम–1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369–एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0–42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) पूर्व में इस मद में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 25.07.2021 तक शासन को उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाय।

2— उपरोक्तनुसार स्वीकृत धनराशि रू0 **98,17,00,000 (रूपये अट्ठान्नबे करोड़ सत्तरह लाख)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021—22 के आय—व्ययक के अनुदान सं0—51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड—800— अन्य व्यय—06—स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—09—राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय—42—अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

<u>संख्या— 1296(1)/एक—10—2021—33(36)/2018 टीसी, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5— समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6— वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—5
7— संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई—बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
8— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।